रजिस्ट्री सं० डी० (डी०) 187
REGISTERED NO. D. (D.) 187

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली प्रशासन
DELHI ADMN

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 27, 1981/भाद्र 5, 1903
No. 35] DELHI, THURSDAY, AUGUST 27, 1981/BHADRA 5, 1903

भाग IV
PART IV

भाग I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर दिल्ली प्रशासन के विभागों की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Delhi Administration other than Notifications included in Part I

दिल्ली प्रशासन, दिल्ली
DELHI ADMINISTRATION, DELHI

गृह पुलिस II विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 14 अगस्त 1981

संख्या फा० (62)/80-गृह (पु०-2):—भारत सरकार गृह मंत्रालय की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना सं० यू-11011/2/74 के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) की धारा 24 की उप धारा (1) एवं (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासक भारतीय दंड संहिता की धारा-120-बी के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम की धारा 3, 5, 9 के अधीन दिनांक 18-2-80 की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 85, पुलिस थाना तुगलक रोड, तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 304/436, के अधीन, दिनांक 15-9-80 की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 741, पुलिस थाना सीलमपुर पूर्वी क्षेत्र, दिल्ली के केसों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दिल्ली के न्यायालय के समक्ष संचालित करने के प्रयोजन हेतु श्री बी० आर० हांडा एडवोकेट को विशेष सरकारी अभियोजक नियुक्त करते हैं।

आदेश से,

श्रीमती बी० जिंदगर, उप सचिव (गृह)

HOME POLICE II DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 14th August, 1981.

No. F.8(62)/80-Home (P-II):—In exercise of the powers confered by sub-section (1) and (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act II of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. U-11011/2/74-dated the 20th March, 1974, the Administrator is pleased to appoint Shri B.R.Handa, Advocate as Special Public Prosecutor for purpose of conducting cases F.I.R. No. 85 dated 18-2-80 U/Ss 3,5,9, Official Secrets Act read with section 120-B, I."P.,C Police Station Tughlak Road, and F.I.R.No. 741 dated 15.9.80 under Sections 3.4.5,6. Explosive Substances Act and sections 304/436 I.P.C. read with Section 120-B, I.P.C. Police Station Seelampur, East District, Delhi, before the Court(s) of Additional Sessions Judge, Delhi.

By order,

Mrs. B. JINDGAR, Dy. Secy. (HOME)

Attested

Controller of Publications
Govt. of India
Department of Publication
Ministry of U... Development

सेवा विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली 14 अगस्त, 1981

संख्या फा० 3/24/79-सेवा-2 :—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना संख्या फा० 24/78/68-डी० एच० (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के प्रशासक, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श करने के पश्चात श्रमायुक्त कार्यालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में संयुक्त श्रमायुक्त के पद पर नियुक्ति के लिये आवश्यक भर्ती पद्धति एवं योग्यताओं के सम्बन्ध में इसके साथ संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं।

श्रमायुक्त कार्यालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में संयुक्त श्रमायुक्त के पद के भर्ती नियम

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये आयु सीमा	क्या (पेंशन) केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है।	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक व अन्य योग्यतायें।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6क.	7
संयुक्त श्रमायुक्त	एक (1981) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।	'क' वर्गीय सामान्य केन्द्रीय सेवा राजपत्रित अलिपिकीय	1500-60-1800 रुपये	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती के लिये उम्मीदवारों के लिये निर्धारित आयु व शैक्षिक योग्यतायें पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा/या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श भर्ती के लिये लिया जाना है।
8	9	10.	11	12	13
लागू नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	पदोन्नति इस ग्रेड में जिनकी 5 वर्ष की नियमित सेवा हो वे उप-श्रमायुक्त। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 1. (क) जिनकी इस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो, यानी सिविल सेवा के प्रवरण ग्रेड के ये अधिकारी अथवा (ख) जिनकी इस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के वे अधिकारी अथवा	1. 'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिये) 1. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष/ सदस्य--अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली--सदस्य 3. प्रशासन के संबंधित सचिव--सदस्य 4. संबंधित विभागाध्यक्ष, जबकि वह प्रशासन में पदेन सचिव न हों --सदस्य	पदोन्नति, किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति तथा इन नियमों के किसी उपबन्ध को संशोधित/शिथिल करने समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

Attested

Controller of Publications
Govt. of India
Department of Publications
(Ministry of Urban Development)

8	9	10	11	12
			(ग) केन्द्रीय/राज्य सरकारों के	
			(1) समरूप पद धारण करने वाले अधिकारी या	2. 'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति
			(2) 1300-1700 रुपये के वेतनमान वाले पदों में तीन वर्ष की सेवा रखने वाले अधिकारी या	(पुष्टिकरण पर विचार करने के लिये) 1. मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली
			(3) 1100-1600 रुपये के वेतनमान वाले पदों में पांच वर्ष की सेवा वाले पदों में पांच वर्ष की सेवा रखने वाले अधिकारी तथा	—सदस्य 2. प्रशासन के संबंधित सचिव—सदस्य 3. संबंधित विभागाध्यक्ष, जबकि वह प्रशासन में पदेन सचिव न हो
—			2. औद्योगिक सम्बन्ध तथा श्रमिक प्रशासन के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखने वाले अधिकारी (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत चार वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	—सदस्य टीप:—पुष्टिकरण के बारे में विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही आयोग को अनुमोदन नार्थ भिजवाई जायेगी। यदि आयोग इसको अपना अनुमोदन प्रदान नहीं करता है, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके किसी सदस्य की अध्यक्षता में नयी बैठक आयोजित की जायेगी।

SERVICES DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 14th August, 1981

No. F.2 (24)/79-S.II. —In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitutions, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F. 24/78/68-DH(S), dated the 24th September, 1968, the Administrator of Delhi after prior consultation with the Union Public Service Commission is pleased to make rules in the Schedule hereto annexed regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of Joint Labour Commissioner in the Office of the Labour Commissioner, Delhi Administration, Delhi.

Controller of Publications
Govt. of India

Requitment Rules For The Post of Joint Labour Commissioner in the Office of the Labour Commissioner : Delhi Administration.

Name of the Post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972.	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	6-a	7
Joint Labour Commissioner	*1 (1981) Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 1500-60-1800.	Selection	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable	2 years	By promotion failing which by transfer on deputation.	Promotion Deputy Labour Commissioner with five years' regular service in the grade. Transfer on deputation (1) (a) Selection Grade Officers of DANI Civil Service with 5 years, service in the grade ; or (b) Senior-Scale officers of the IAS with 5 years' service in the grade; or (c) Officers from the Central/State Govts. - (i) holding analogous posts or (ii) with three years service in posts in the scale of Rs. 1300-1600 or equivalent ; or (iii) With 5 years' Service in Parts in the Scale of Rs. 1100-1600 or equivalent; and (2) Possessing sufficient experience in the field of industrial relations and labour administration. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 4 years)	(1) Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) (i) Chairman/Member of the UPSC-Chairman (ii) Chief Secretary, Delhi Administration—Member. (iii) Secretary concerned in the Admn.—Member (iv) Head of Department concerned unless he is ex-officio Secretary in the Administration—Member. 2. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) (a) Chief Secretary, Delhi Administration, Delhi—Chairman. (b) Secretary concerned in the Administration --Member (c) Head of Department concerned unless he is ex-officio Secretary in the Administration—Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making promotion, selecting an officer for appointment on deputation and amending/relaxing any of the provisions of these rules.

Attested

8	9	10	11	12	13
				Note :--The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval, if however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.	

दिल्ली, 18 अगस्त, 1981

संख्या फा० 2(10)/77 सेवा 2 :--गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना संख्या फा० 24/78/68-डी० एच० (एस०) तथा दिनांक, 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या फा० 27/59-एच० आई० एम० (1) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श करने के पश्चात् दिल्ली के प्रशासक----

(1) उद्योग निदेशालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में (1) संयुक्त निदेशक उद्योग (तकनीकी), (2) उप निदेशक उद्योग (तकनीकी), (3) सहायक मापतोल नियंत्रक, (4) सहायक निदेशक उद्योग (तकनीकी)/उद्योग अधिकारी (तकनीकी) तथा (5) सहायक निदेशक उद्योग (प्रशासन)/उद्योग अधिकारी (प्रशासन) के पदों पर नियुक्ति के लिये आवश्यक भर्ती पद्धति तथा योग्यताओं के सम्बन्ध में इसके साथ संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं, तथा

(2) दिनांक 16 मार्च, 1978 के दिल्ली राजपत्र के चौथे भाग के पृष्ठ संख्या 189 से 193 पर प्रकाशित दिनांक 6 मार्च, 1978 की अधिसूचना संख्या फा० 2(10)/77-सेवा-2 के अनुसार अधिसूचित उद्योग निदेशालय में संयुक्त निदेशक उद्योग (तकनीकी)/अनुसंधान अधिकारी के पदों के भर्ती नियमों को रद्द करते हैं,

(3) दिनांक 2 जुलाई, 1970 के दिल्ली राजपत्र के चौथे भाग के पृष्ठ संख्या 654 से 657 पर प्रकाशित दिनांक 15 जून, 1970 की अधिसूचना संख्या फा० 2(33)/69 सेवा (2) के क्रम संख्या-1 पर अधिसूचित उद्योग निदेशालय में उप निदेशक उद्योग (तकनीकी) के पदों के भर्ती नियमों को रद्द करते हैं;

(4) दिनांक 2 जुलाई, 1970 के दिल्ली राजपत्र के चतुर्थ भाग के पृष्ठ संख्या 654 से 657 पर प्रकाशित दिनांक 15 जून, 1970 की अधिसूचना संख्या फा० 2(33)/69-सेवा (2) के अनुसार यथा संशोधित दिनांक 31 सितम्बर, 1967 के दिल्ली राजपत्र के चतुर्थ भाग के पृष्ठ संख्या 422 पर प्रकाशित दिनांक 12 सितम्बर, 1967 की अधिसूचना संख्या फा० 2(36)/66 सेवा (ग) के अनुसार अधिसूचित उद्योग निदेशालय में सहायक माप-तोल नियन्त्रक के पदों के भर्ती नियमों को रद्द करते हैं,

(5) दिनांक 10 जुलाई, 1969 के दिल्ली राजपत्र के चौथे भाग के पृष्ठ संख्या 705 पर प्रकाशित दिनांक 26 जून, 1969 की अधिसूचना संख्या फा० 2(4)/65-सेवा (2) के अनुसार यथा संशोधित दिनांक 20 मार्च, 1969 के दिल्ली राजपत्र के चौथे भाग के पृष्ठ संख्या 315-316 पर प्रकाशित दिनांक 20 जनवरी, 1969 की अधिसूचना संख्या 2(4)/65-सेवा 2 के क्रम संख्या 2 के अनुसार अधिसूचित उद्योग निदेशालय में सहायक निदेशक, उद्योग के पदों के भर्ती नियमों को रद्द करते हैं, और

(6) दिनांक 25 अगस्त, 1973 की अधिसूचना संख्या 2(37)/72-सेवा (2) के अनुसार यथा संशोधित दिनांक 18 जुलाई, 1968 के दिल्ली राजपत्र के चौथे भाग के पृष्ठ संख्या 371 पर प्रकाशित दिनांक 6 जुलाई, 1968 की अधिसूचना संख्या 2(4)/65-सेवा (ग) के अनुसार अधिसूचित उद्योग निदेशालय में उद्योग अधिकारी के पदों के भर्ती नियमों को रद्द करते हैं ।

Attested

Controller of Publications 2/6/10
Govt. of India
Department of Publications